



मध्यप्रदेश वक्फ़ बोर्ड,

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)

ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल, फोन : 0755-2543175, 2739230

E-mail: mpwafboardbhopal@gmail.com, ceomp@wafk.gov.in - Website : www.mpwafboard.org

क्र. 21 / GPS/GIS/ITCELL / 2018 /

भोपाल, दिनांक

परिपत्र

वक्फ अधिनियम 1954 के अंतर्गत सर्वे कार्य, सर्वे वक्फ आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य द्वारा किया गया तथा सर्वे सूची संधारित की गई। इसके बाद सर्वे सूची अनुसार बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को जिलेवार मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3(1) में प्रकाशन कराया।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय दिल्ली की "कौमी राज्य वक्फ बोर्ड तरक्कयाती योजना" के अंतर्गत वक्फिया सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड समस्त वक्फिया सम्पत्तियों का समय सीमा में जी.पी.एस./जी.आई.एस. का कार्य किया जाना है। विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यालयीन वेबसाईट www.mpwafboard.org पर उपलब्ध है।

जी.पी.एस./जी.आई.एस. का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार म. प्र. वक्फ बोर्ड के आदेश क्र. 4863-67 दिनांक 19/09/2018 द्वारा अधिकृत आउटसोर्स एजेन्सी **CRISP - Centre For Research and Industrial Staff Performance, Bhopal** द्वारा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के सहयोग से किया जाना है। यह कार्य महत्वपूर्ण है एवं आपके सहयोग के बिना कार्य सम्पादन संभव नहीं है।

अतः आपसे आग्रह है कि उक्त कार्य के सुचारु संपादन में अधिकृत एजेन्सी एवं मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के कर्मचारी/अधिकारीगण का अमूल्य सहयोग करें।

(डॉ० युनुस खान)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

क्र. 21 / GPS/GIS/ITCELL / 2018 / 6264

भोपाल, दिनांक 29-12-18

प्रतिलिपि:

1. निज सचिव, मान. मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, पिछडर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल को सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु।

D.No. 6264 — 29-12-18

4. उपसचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वीं फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंतोदया भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003 को सूचनार्थ।
5. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़गर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अध्यक्ष मध्यप्रदेश स्टेट लेवल कोअर्डिनेशन कमेटी (वक्फ) मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
7. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
8. समस्त सदस्यगण मध्यप्रदेश स्टेट लेवल कोअर्डिनेशन कमेटी (वक्फ) भोपाल को सूचनार्थ।
9. निज सहायक, मान. अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड भोपाल को सूचनार्थ।
10. समस्त ज़िला/तहसील वक्फ कमेटी मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं अधिकृत एजेन्सी "क्रिस्प" के मेनपॉवर, कर्मचारी/पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु पालनार्थ।
11. समस्त वक्फ प्रबंध कमेटी, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं अधिकृत एजेन्सी क्रिस्प के मेनपॉवर, कर्मचारी/पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। कृपया अपने अधिनस्थ वक्फ के समस्त रिकार्ड ऑफ राइट्स, फोटोग्राफ्स, अतिक्रमण, मकान/दुकान की किरायदारी एवं ईजाफा जायदाद से संबंधित जानकारी स्थल पर उपस्थित एजेन्सी को आवश्यक तौर पर उपलब्ध करावें। उक्त कार्य वक्फ हित एवं उसकी सुरक्षा से संबंधित है, यदि कोई वक्फ सम्पत्ति इन्द्राज करने में छूट जाती है तो उसकी जवाबदारी समिति की होगी। अतः अपने स्तर पर समस्त जायदाद इन्द्राज कराना सुनिश्चित करें।
12. डॉ० अकमल यज़दानी, नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड "कोमी राज्य वक्फ बोर्ड तरक्कयाती योजना" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
13. सचिव, सोल ट्रस्टी शिया दारुदी बोहरा समाज बट्टी महल फोर्ट मुम्बई।
14. आई.टी.सेल मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

1-1-19
11/1/19
0/C
30